समाहरणालय,बक्सर
(स्थापना शाखा)

पत्रांक ____________________/स्था0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

स्थापना उप समाहर्त्ता, बक्सर

नजारत उप समाहर्ता, बक्सर

अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव

बक्सर, दिनांक________/________/2020

विषय : बजट मुख्य शीर्ष–2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001–जिला प्रशासन (विपत्र कोड संख्या 33-2053000930001) मांग संख्या 33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षो में वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु राशि के उपावंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **Comprehensive Financial Management System, Govt. of Bihar** से विभिन्न ईकाईयों में विभिन्न आवंटन आई0डी0 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020–21 के व्यय हेतु मो0 21,75,000/– (इक्कीस लाख पचहतर हजार) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्त प्राप्त आवंटन 21,75,000/–(इक्कीस लाख पचहतर हजार) रूपये को निम्नलिखित शर्तो के साथ संलग्न विवरणी के अनुसार आपको उपावंटित किया जाता है :–

2. उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के स्थायी आदेश संख्या 2561, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दिये गये निदेश एवं एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
3. इसकी मांग संख्या 33 एवं विपत्र कोड संख्या 33-2053000930001 है।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जॉच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
6. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
7. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की होगी
8. जिस पद के विरूद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त है उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से की जायेगी।

9. आवंटन **CFMS** के द्वारा प्राप्त है।

10. कोषागार में **CFMS** के माध्यम से विपत्र भेजते समय मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतनादि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।

12. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

13. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, **2006** के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अन्त में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।

14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभजन,

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 01-1457 /स्था0,बक्सर,दिनांक 24 / 08 /2020

प्रतिलिपि :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डी0आई0ओ0,एन0आई0सी0, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ट मुख्य शीर्ष–2053 जिला प्रशासन–093–जिला स्थापना–0001–जिला प्रशासन (मांग संख्या–33 एवं विपत्र कोड संख्या 33-2053000930001) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए व्यायार्थ राशि का उपावंटन :–

इकाई का नाम	आवंटन आई०डी० नं०	स्थापना उप समाहर्त्ता, बक्सर			नजारत उप समाहर्त्ता, बक्सर			अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर			अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव			पूर्व में कुल उपावंटित राशि	वर्त्तमान में कुल उपावंटन राशि	पूर्व एवं वर्त्तमान में उपावंटित राशि का योग
		पूर्व उपावंटन	वर्त्तमान उपावंटन	कुल उपावंटन	पूर्व उपावंटन	वर्त्तमान उपावंटन	कुल उपावंटन	पूर्व उपावंटन	वर्त्तमान उपावंटन	कुल उपावंटन	पूर्व उपावंटन	वर्त्तमान उपावंटन	कुल उपावंटन			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
वेतन (01-01)	[illegible]5680 348579	25808400.00	0.00	25808400.00	0.00	0.00	0.00	3073400.00	0.00	3073400.00	1118200.00	0.00	1118200.00	30000000.00	0.00	30000000.00
[illegible] भत्ता (01-03)	[illegible]5724 348620	1548500.00	0.00	1548500.00	0.00	0.00	0.00	184400.00	0.00	184400.00	67100.00	0.00	67100.00	1800000.00	0.00	1800000.00
मकान किराया भत्ता (01-04)	[illegible]5985 348858	1190420.00	0.00	1190420.00	0.00	0.00	0.00	153660.00	0.00	153660.00	55920.00	0.00	55920.00	1400000.00	0.00	1400000.00
चिकित्सा भत्ता (01-06)	[illegible]6288 [illegible]10745	516000.00	0.00	516000.00	0.00	0.00	0.00	61600.00	0.00	61600.00	22400.00	0.00	22400.00	600000.00	0.00	600000.00
अन्य भत्ता (01-07)	[illegible]6381 [illegible]46783	113320.00	0.00	113320.00	0.00	0.00	0.00	12100.00	0.00	12100.00	4580.00	0.00	4580.00	130000.00	0.00	130000.00
योग		29176640.00	0.00	29176640.00	0.00	0.00	0.00	3485160.00	0.00	3485160.00	1268200.00	0.00	1268200.00	33930000.00	0.00	33930000.00
कार्यालय व्यय (13-01)	84219 592957	0.00	0.00	0.00	1000000.00	600000.00	1600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	600000.00	1600000.00
वाहनों का ईंधन एवं रख-रखाव (13-02)	84232 392883	0.00	0.00	0.00	700000.00	350000.00	1050000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700000.00	350000.00	1050000.00
दूरभाष व्यय (13-03)	84245 392967	0.00	0.00	0.00	70000.00	35000.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	35000.00	105000.00
[illegible] (13-04)	84256 393104	0.00	0.00	0.00	700000.00	490000.00	1190000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700000.00	490000.00	1190000.00
[illegible] (13-10)	393139	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00
[illegible]	84698 393824	0.00	0.00	0.00	1500000.00	600000.00	2100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	600000.00	2100000.00
कुल योग		29176640.00	0.00	29176640.00	3970000.00	2175000.00	6145000.00	3485160.00	0.00	3485160.00	1268200.00	0.00	1268200.00	37900000.00	2175000.00	40075000.00

जिला पदाधिकारी,
बक्सर